



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2019/वैशाख 18, 1941

No. 293]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2019/VAISAKHA 18, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2019

सा.का.नि. 350(ब).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम तारीख 10 मई, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 4 में-

(क) उप-नियम (1) में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, :-

"दस हजार रुपये:

परन्तु किसी कंपनी द्वारा कोई आवेदन प्ररूप संख्या एसटीके-2 में तब तक फाइल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अतिशोध्य विवरणी, प्ररूप संख्या एओसी-4 (वित्तीय विवरण) में या एओसी-4 एक्सबीआरएल में यथा स्थिति तथा प्ररूप संख्या एमजीटी-7 (वार्षिक विवरणी), उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, जिसमें कंपनी ने अपना व्यासायिक प्रचालन बंद कर दिया है, फाइल नहीं किया है:

(1) से (3) का योग

II. निधियों का उपयोग

(1) स्थिर आस्तियां

(2) निवेश

(3) (i) वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

घटा: (ii) वर्तमान देयताएं और प्रयोजन

लेनदार

अप्रदत्त लाभांश

देय

अन्य

कुल वर्तमान देयताएं और प्रयोजन

निवल वर्तमान आस्तियां (i-ii)

(4) बट्टे खाते या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक विविध व्यय

(5) लाभ और हानि लेखा (आहरण शेष)

1 से 5 का कुल योग

तारीख:

स्थान:

नाम और हस्ताक्षर (प्रबंध निदेशक)*

नाम और हस्ताक्षर (सचिव)*

नाम और हस्ताक्षर (निदेशक)*

*केवल तभी लागू यदि एमडी/सचिव है

पूर्णकालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित।

सदस्य संख्या/प्रेक्टिस संख्या का मोहर सहित प्रमाण-पत्र।”

[फां.सं.1/28/2013 सीएल-V(खंड)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1174(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 355(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधित किए गए।

Total Loan Funds

Total of (1) to (3)

II. Application of Funds

(1) Fixed Assets

(2) Investments

(3) (i) Current Assets, loans and Advances

Less : (ii) Current Liabilities and provisions

Creditors

Unpaid Dividend

Payables

Others

Total Current Liabilities and provisions

Net Current assets (i –ii)

(4) Miscellaneous expenditure to the extent not
written off or adjusted

(5) Profit and Loss Account (Debit balance)

Total of 1 to 5

Date :

Place:

Name and Signature of (Managing Director)*

Name and Signature (Secretary)*

Name and Signature of (Directors)

* Applicable only if there is MD/Secretary

Duly certified by Chartered Accountant in whole time practice.

Membership No/Certificate of Practice Number with seal.”

[F.No.1/28/2013-CL-V(Part)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1174(E), dated 26th December, 2016 and amended *vide* notification No. G.S.R 355(E), dated the 12th April, 2017.